संख्याः 3054 / VII-1 / 2018 / 38–ख / 17

(28)

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 27 फरवरी, 2018**

विषयः श्री नन्हा पुत्र पुत्र श्री छोटा, निवासी ग्राम भोगपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार को जनपद व तहसील हरिद्वार, ग्राम भोगपुर के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.975है० नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त होने के उपरान्त खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–736 / VII-1 / 57–ख / 2013 दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा निजी नाप भूमि में स्वीकृत होने वाली उपखनिज के खनन पट्टों में आशय पत्र जारी किये जाने का प्राधिकार जिलाधिकारी में निहित था। तत्क्रम में जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या–88 / खनन–2014 (ई०आई०ए०), दिनांक 25 जनवरी, 2014 द्वारा श्री नन्हा पुत्र श्री छोटा, निवासी ग्राम भोगपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार को जनपद व तहसील हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, ग्राम भोगपुर के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 170 / 4, 170 / 6 कुल रकवा 0.975 है० निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान का खनन पट्टा स्वीकृति हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया गया था।

2. जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या–320 / खनन सहा०–2014–15, दिनांक 23 मार्च, 2015 द्वारा आवेदक श्री नन्हा पुत्र श्री छोटा, निवासी ग्राम भोगपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार को जनपद व तहसील हरिद्वार को आशय पत्र पर स्वीकृत क्षेत्र पर्यावरणीय अनुमति पत्र संख्या–459–1(504) / 2014, दिनांक 29 मार्च, 2014, आशय पत्र, गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या, भूमिधरों की सहमति, ट्रेजरी चालान आदि की प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–641 / खनन / हरिद्वार / भू०खनि०ई० / 2016–17, दिनांक 09 नवम्बर, 2016 द्वारा आवेदक को उपखनिज के चुगान हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री नन्हा पुत्र पुत्र श्री छोटा, निवासी ग्राम भोगपुर, तहसील व जनपद हरिद्वार को जनपद व तहसील हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, ग्राम भोगपुर के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 170 / 4, 170 / 6 कुल रकवा 0.975 है० नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्र सं०–459–1(504) / 2014, दिनांक 29 मार्च, 2014 एवं शुद्धि पत्र सं० 471–1(504) / 2014, दिनांक 20 अगस्त, 2014 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति तथा उत्तराखण्ड उपखनिज

(बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 (यथासंशोधित) दिनांक 19.11.2016 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड से प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) पत्र संख्या–459–1(504) /2014, दिनांक 29 मार्च, 2014 एवं शुद्धि पत्र संख्या–471–1(504)/2014, दिनांक 20 अगस्त, 2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन पट्टाधारक से सुनिश्चित कराये जाने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–11 पट्टाधारक को निर्गत किया जाय।
3. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी का त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र एम०एम०–12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं खनन विभाग को प्रस्तुत करेगा।
4. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०–22(6) के अनुसार चुगान कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में पंजीकरण कराया जाना होगा।
5. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं०–22(3) के अनुसार चुगान पट्टा क्षेत्र के निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
6. पट्टाधारक स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान सतह से 1.5 मी० की गहराई अथवा ग्राउन्डवाटर लेवल जो भी न्यून हो, तक चुगान किया जायेगा।
7. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान हेतु किसी भी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जायेगा व चुगान कार्य केवल मानव शक्ति से ही किया जायेगा।
9. प्रश्नगत क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान का कार्य सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जायेगा।
10. पट्टाधारक स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन निर्धारित ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम० 11 पर करेगा।
11. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
12. नियम–14 के प्रावधानानुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात उक्त विलेख का पंजीकरण कराने के उपरान्त खनन क्षेत्र से उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

–3–

संख्याः 3054 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में।
2. श्री नन्हा पुत्र पुत्र श्री छोटा, निवासी ग्राम भोगपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जनपद हरिद्वार।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

26.02.18

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव